संख्या-4033 ईजी/23-लो0नि0-5-135 ईजी/90
लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 1990

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) में भर्ती, और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा, की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, 1990

भाग-एक

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) नियमावली, 1990 कही जायगी ;
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) राज्य सेवा है, जिसमें समूह "क" के पद समाविष्ट हैं ।

परिभाषायें

3. विषय या संदर्भ में जब तक कोई प्रतिकूल बात न हो, इस सेवा नियमावली में, -

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है,

(ख) "प्रमुख अभियंता" का तात्पर्य प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश से है,

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

SD.

क्रमशः-2

किसी पद पर इन नियमावली, या इन नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(च) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अभियंता सेवा (लोक निर्माण विभाग) (उच्चतर) से है,

(छ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है,

(ज) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हों तो सरकार द्वारा जारी किए गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो,

(झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो
संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

क्रमशः-3

(2) जब तक कि उपनियम-(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जॉय, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है :-

		स्थायी	अस्थायी
एक-	अधिशासी अभियंता (सिविल)	284	69
दो-	अधिशासी अभियंता (विद्युत और यांत्रिक)	33	07
तीन-	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	49	13
चार-	अधीक्षण अभियंता (विद्युत और यांत्रिक)	06	-
पांच-	मुख्य अभियंता, स्तर-दो (सिविल)	04	10
छः -	मुख्य अभियंता, स्तर-दो (विद्युत और यांत्रिक)	-	01
सात-	मुख्य अभियंता, स्तर-एक (सिविल)	-	02
आठ-	प्रमुख अभियंता	01	-

परन्तु-

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग- तीन

भर्ती

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायगी, अर्थात् :-

क्रमशः--

और यांत्रिक शाखाओं के ऐसे सहायक अभियंताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा;

(दो) अधीक्षण अभियंता, सिविल, विद्युत और यांत्रिक :-

मौलिक रूप से नियुक्त क्रमशः सिविल, विद्युत और यांत्रिक शाखाओं के ऐसे अधिशासी अभियंताओं में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन को कम से कम पन्द्रह वर्ष की कुल सेवा पूरी कर ली हो, (जिसमें अधिशासी अभियंता के रूप में कम से कम छः वर्ष की सेवा भी सम्मिलित है), पदोन्नति द्वारा;

(तीन) मुख्य अभियंता, स्तर-दो- सिविल, विद्युत और यांत्रिक:-

मौलिक रूप से नियुक्त क्रमशः सिविल, विद्युत और यांत्रिक शाखाओं के अधीक्षण अभियंताओं में से, पदोन्नति द्वारा;

(चार) मुख्य अभियंता, स्तर-एक (सिविल) :-

मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियंता स्तर-दो (सिविल) में से, पदोन्नति द्वारा;

(पांच) प्रमुख अभियंता :-

मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य अभियंता, स्तर-एक (सिविल) में से, पदोन्नति द्वारा।

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

क्रमशः-5

भाग-चार

भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण 7. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती प्रक्रिया 8. (1) अधिशासी अभियंता सिविल, विद्युत और यांत्रिक के पद पर भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर, और अधीक्षण अभियंता सिविल, विद्युत और यांत्रिक के पद पर श्रेष्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(एक) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग,

(तीन) प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग,

(चार) सिविल शाखा के पद के लिए प्रमुख अभियंता (सिविल), सिंचाई विभाग और विद्युत और यांत्रिक शाखा के पद के लिए प्रमुख अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग।

ज्येष्ठ सचिव चयन समिति के अध्यक्ष होंगे।

(2) मुख्य अभियंता स्तर-दो- सिविल, विद्युत और यांत्रिक मुख्य अभियंता स्तर-एक (सिविल) और प्रमुख अभियंता के पद पर भर्ती, श्रेष्ठता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(एक) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार — अध्यक्ष

(दो) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग,

(तीन) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लोक निर्माण विभाग